

राजनीतिका अपराधीकरण

प्रलिस के लयः

जनप्रतनिधित्व अधनियम, राजनीतिका अपराधीकरण ।

मेन्स के लयः

राजनीतिका अपराधीकरण के कारण, प्रभाव और समाधान ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो वधायकों को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उनमें से केवल एक को अयोग्य घोषित किया गया है और उसकी सीट को राज्य के वधानसभा सचवालय द्वारा रकित घोषित किया गया है ।

राजनीतिका अपराधीकरण:

परचयः

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य वधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं ।
- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँटगाँठ के कारण होता है ।

आपराधिक छवके उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू:

- भारतीय संवधान में संसद या वधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिका अयोग्यता के वषिय में उपबंध नहीं किया गया है ।
- **लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951** में वधानमंडल का चुनाव लड़ने के लयि किसी व्यक्तिका अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है ।
 - इस अधनियम की धारा 8 (अर्थात कुछ अपराधों के लयि दोषसदिधाके संबंध में अयोग्यता) के तहत दो साल से अधिक की जेल की सज़ा पाने वाला व्यक्ता जेल की अवधा समाप्त होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है ।
- **अयोग्यता के खलिफ संरक्षणः**
 - RPA की धारा 8(4) के तहत वर्ष 2013 तक वधानमंडल सदस्य तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे ।
 - इस प्रावधान के अनुसार, संसद या राज्य वधानमंडल के सदस्य तीन महीने के लयि अयोग्य नहीं होंगे ।
 - यदइस अवधा के दौरान दोषी वधानमंडल सदस्य अपील या पुनरीक्षण आवेदन करता है, तो अपील के नपिटारे तक यह प्रभावी नहीं होगा ।
 - वर्ष 2013 में 'लली थॉमस बनाम यूनयिन ऑफ इंडया' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानक ठहरा कर इसे नरिसत् कर दिया था ।
 - आरपीए की धारा 8(4) के तहत वधायक वर्ष 2013 तक तत्काल अयोग्यता से बच सकते हैं ।
 - प्रावधान के अनुसार संसद सदस्य या राज्य के वधायक तीन महीने के लयि अयोग्य नहीं होंगे ।
 - यदइस अवधा के भीतर दोषी वधायक अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करता है, तो यह अपील या आवेदन के नपिटारे तक प्रभावी नहीं होगा ।
 - लली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने खंड (4) को असंवैधानक करार दिया, इस प्रकार सांसदों द्वारा प्राप्त सुरक्षा को हटा दिया गया ।
- **सर्वोच्च न्यायालय की संबंधति शक्तिः**
 - सुप्रीम कोर्ट के पास न केवल सज़ा देने बलककिसी व्यक्तिका दोषसदिधापर भी रोक लगाने की शक्ति है । कुछ दुर्लभ मामलों में अपीलकर्त्ता को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लयि दोषसदिधापर रोक लगाई गई है ।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कइस तरह की रोक बहुत दुर्लभ और वशेष कारणों से होनी चाहयि । आरपीए स्वयं

चुनाव आयोग (EC) के माध्यम से एक उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को हटा सकता है या कम कर सकता है।

■ **राजनीति के अपराधीकरण का कारण:**

- **प्रवर्तन की कमी:** कानूनों और नरिणयों के प्रवर्तन की कमी के कारण कई कानूनों और न्यायालयी नरिणयों ने ज़्यादा मदद नहीं की है।
- **नहिती स्वार्थ:** राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि भितदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जातिया धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।

■ **बाहुबल और धन का उपयोग:**

- गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
- इसके अलावा कभी-कभी मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सभी प्रतिसपर्द्धी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि होती है।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव:

- **स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव के सिद्धांत के वरिद्ध:** यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के संबंध में मतदाताओं की पसंद को सीमिति करता है।
 - यह स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जिससे लोकतंत्र का आधार माना जाता है।
- **सुशासन पर प्रभाव:** प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।
 - लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके नरिवाचति प्रतनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।
- **लोक सेवकों की सत्यनष्ठा पर प्रभाव:** इससे चुनाव के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन भी बढ़ता है, जो बदले में समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और लोक सेवकों के कामकाज को प्रभावित करता है।
- **सामाजिक वषिमता का कारण बनना:** इससे समाज में हिसा की संस्कृतिका प्रसार होता है और युवाओं के भवषिय के खलिवाड़ के साथ शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के वषिवास को कम करता है।

आगे की राह

- **चुनावों का राज्य वतितपोषण:** चुनाव सुधार पर बनी वभिनिन समतियों (दनिश गोस्वामी, इंदरजीत समति) ने **राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन कयि जाने** की सफिरशि की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मलिंगी और परणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमिति कयि जा सकेगा।
- **चुनाव आयोग को सुदृढ बनाना:** एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को वनियमिति करना आवश्यक है, जिसके लयि **नरिवाचन आयोग (Election Commission)** को मज़बूत करना ज़रूरी है।
- **जागरूक मतदाता:** मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य परलोभनों के प्रतिसतरक रहने की आवश्यकता है।
- **न्यायपालिका की सकरयि भूमिका:** भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानकारक प्रभावों को रोकने के प्रत अनच्छिा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्त वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतबिंध लगाने जैसे फ़ैसले पर वचिर करना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: अक्सर कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' एक साथ नहीं चलते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? दृष्टांतों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2013)

प्रश्न: जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 के तहत संसद या राज्य वधिनमंडल के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न वविादों को तय करने के लयि प्रक्रयाओं पर चर्चा कीजयि। ऐसे कौन से आधार हैं जनि पर किसी भी उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषति कयि जा सकता है? नरिणय के वरिद्ध पीड़ति पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है? केस कानूनों का संदर्भ लीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

स्रोत: द हद्रि